दिनांक 04.01.2013 (शुक्रवार) को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समूह-01 के विभागों की MJC/CWJC से संबंधित सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथा संलग्न।

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को यह निदेश दिया गया कि जिन विभागों में लम्बित MJC की संख्या-20 से ज्यादा होगी, उन विभागों की समीक्षा, पाक्षिक यानि प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को अपराह्न 04 बजे से होगी।

2. जिन विभागों में लम्बित ~~अवमाननावादों~~ अवमाननावादों की संख्या-20 या उससे कम होगी, उन विभागों के प्रधान सचिव अपने स्तर पर निश्चित रूप से पाक्षिक समीक्षा कर समीक्षा के फलाफल से मुख्य सचिव को अवगत करावेंगे।

3. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शिक्षा विभाग में अवमाननावादों की संख्या बहुत ज्यादा लम्बित है एवं लम्बित मामलों का निपटारा विभागीय स्तर पर बहुत ही धीमी गति से हो रहा है जिसमें और ज्यादा गति लाने की आवश्यकता है।

4. गृह विभाग/कृषि/राजस्व/पंचायती राज विभागों में लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया, ताकि शीघ्रताशीघ्र उनकी संख्या में कमी लायी जासके।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव द्वारा यह बताया गया कि दिनांक-04.01.2013 तक अनुपालन के पश्चात् लम्बित अवमाननावादों की संख्या-17 रह गयी है जिनका निष्पादन शीघ्रताशीघ्र किया जायेगा।

10.1.13

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक :- 5/म०स०ज०शि०(बैठक) 04/2010 ......09........ पटना-15, दिनांक ..11....... जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.1.13

(रवीन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अवर सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

RAVINDRA - Proceeding C.S. JAN SHIKAYAT - Page 40